न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– हँसमुख कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 20/2022

प्रार्थीगण :–

1. सोननाथ पुत्र श्री रामनाथ
2. गीतादेवी पुत्री श्री रामनाथ
3. प्रेमदेवी पुत्री श्री रामनाथ
4. सुखड़ी पुत्री श्री रामनाथ
5. सीतादेवी पुत्री श्री रामनाथ
6. सोहनीदेवी पुत्री श्री रामनाथ

   जातियान नाथ, निवासीगण ग्राम रावर, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. भंवरलाल पुत्र श्री मंगलाराम
2. श्रीमति हरकू पुत्री श्री मंगलाराम पत्नी दयाराम जातियान जाट, निवासीगण रावर, तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128,

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :– प्रार्थीगण की ओर से श्री गणपत लाल चौधरी एडवोकेट
अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री मदन लाल चौधरी एडवोकेट
अप्रार्थी संख्या 2 अनुपस्थित
अप्रार्थी संख्या 3 सरकारी पैरोकार

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

आदेश **दिनांक :–** 20/2/2024

1. संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम रावर तहसील बिलाड़ा की सरहद में भूमि खसरा नं. 258 रकबा 3.3654 हैक्टेयर आई हुई है। जिसकी खातेदारी प्रार्थीगण के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज चली आ रही है तथा प्रार्थीगण अपनी भूमि पर काबिज है। प्रार्थीगण की भूमि खसरा नं. 258 के उतरी दिशा की ओर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की भूमि खसरा नं. 257 रकबा 3.8670 हैक्टेयर स्थित है। प्रार्थीगण अभी एक महिने पहले अपनी खातेदारी, कब्जासुदा भूमि खसरा नं. 258 के चारो ओर कांटो की तारबन्दी करने हेतु गये लेकिन मौके पर खसरा नं. 257

उप खण्ड अधिकारी

के खातेदारों ने प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में तारबन्दी करने से रोक दिया, जिस पर अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के साथ लडाई झगडा करने पर उतारू हो गये और धमकी दी कि किसी भी सूरत में भूमि का नाप तथा तारबन्दी नही करने देंगे। जिस पर प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 3 के कार्यालय में जाकर सम्पर्क किया और प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी भूमि खसरा नं. 258 का भू पैमाईश करने हेतु का प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर तहसीलदार बिलाड़ा ने दिनांक 16.11.2022 को हल्का पटवारी को मौके पर जाकर भूमि का नाप करने का आदेश दिया, जिसकी पालना करते हुए हल्का पटवारी रावर ने मौके पर जाकर भूमि खसरा नं. 258, 257 का नाप इत्यादि किया गया और अपनी मौका फर्द रिपोर्ट दिनांक 29.11.2022 को तहसीलदार बिलाड़ा को प्रतिप्रेषित कर दी गयी। प्रार्थीगण दिनांक 05.12.2022 को अपनी खातेदारी भूमि खसरा नं. 258 पर तारबन्दी करने हेतु गये लेकिन खसरा नं. 257 के खातेदार अप्रार्थीगण ने फिर भी तारबन्दी करने से रोक दिया, जिस पर प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण को कहा कि तहसीलदार बिलाड़ा से नाप आदि करवा कर तारबन्दी की जा रही है, जिस पर अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण को कहा कि ऐसे आदेश हमने कई देखे है, हमारा तहसीलदार बिलाड़ा कुछ भी नही बिगाड़ सकता है। प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी भूमि में तारबन्दी व काश्त कार्य करने का पूरा–पूरा हक व अधिकार है, फिर भी अप्रार्थीगण तारबन्दी नही करने दे रहे है, इस कारण प्रार्थीगण को खसरा नं. 258, 257 का नाप, सीमांकन, पत्थरगढी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश करना पड रहा है। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम रावर की भूमि खसरा नं. 258 व 257 का नाप सीमांकन, पत्थरगढी किये जाने का आदेश फरमावे।

2. प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये, अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री मदन लाल चौधरी ने वकालतनामा पेश किया तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब मय प्राथमिक आपतिया पेश किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में खसरा संख्या 258 के दक्षिण दिशा में स्थित खेत खसरा संख्या 259 के सहखातेदार इन्द्रादेवी पुत्री शिवनाथ, कंचनदेवी पुत्री शिवनाथ, गंगाविशन पुत्र शिवनाथ, बाबूलाल पुत्र शिवनाथ, राजेश पुत्र शिवनाथ, शोभादेवी पुत्री शिवनाथ, सरजूदेवी पत्नी शिवनाथ, जातियान नाई, निवासीगण ग्राम रावर, खसरा संख्या 260 के सहखातेदार गुमानराम पुत्र

सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

लूम्बाराम, रामाराम पुत्र लूम्बाराम, जातियान राईका, निवासीगण ग्राम रावर व पश्चिम दिशा में स्थित खेत खसरा संख्या 254 के सहखातेदार गुमानराम पुत्र लूम्बाराम, रामाराम पुत्र लूम्बाराम, जातियान राईका, निवासीगण ग्राम रावर उतर दिशा में स्थित खसरा संख्या 256 के सहखातेदार जैरूपराम पुत्र रूघाराम, जवंरीलाल पुत्र मंगलाराम, भंवरलाल पुत्र मंगलाराम, शंकरलाल पुत्र मंगलाराम, सुगनाराम पुत्र मंगलाराम, जातियान कुम्हार निवासीगण ग्राम रावर को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में पक्षकार नही बनाया है। जबकि उपरोक्त सभी सहखातेदार खेत खसरा संख्या 258 के पड़ौसी खेत के सहखातेदार है। इसलिए सभी सहखातेदार प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार है तथा उन्हे पक्षकार बनाये बिना खसरा संख्या 258 का कानूनन न तो सीमाज्ञान किया जा सकता है व न ही पत्थरगढी की जा सकती है। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र उपरोक्त आवश्यक पक्षकार को पक्षकार बनाये बिना पेश किया होने से काबिले निरस्तनीय है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा खसरा संख्या 258 के सम्बंध में दिनांक 29.11.2022 को किये गये सीमांकन मय फर्द मौका रिपोर्ट को आधार बनाते हुए पेश किया, जबकि खसरा संख्या 258 के सीमांकन के समय हल्का पटवारी ग्राम रावर, भू अभिलेख निरीक्षक बाला व तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को न तो सूचित किया, न ही सीमांकन अप्रार्थी संख्या 1 की उपस्थिति में किया गया व न ही सीमांकन रिपोर्ट पर अप्रार्थी संख्या 1 के हस्ताक्षर है। इस प्रकार उक्त सीमांकन रिपोर्ट दिनांक 29.11.2022 अप्रार्थी संख्या 1 को सूचित किये बिना, बिना उसकी उपस्थिति में व बिना उसके हस्ताक्षर के कानून की दृष्टि में अप्रभावी है। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा अप्रभावी सीमांकन के रिपोर्ट दिनांक 29.11.2022 के आधार पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र काबिले निरस्तनीय है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के सयुक्त खातेदारी खेत खसरा संख्या 257 की दक्षिणी पूर्ण माठ व पश्चिमी माठ का कुछ हिस्सा प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 258 की उतरी माठ व पूर्वी माठ के लगता है तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के सयुक्त खातेदारी खेत खसरा संख्या 257 के दक्षिणी माठ व पश्चिमी माठ पर वर्ष 1988 में सरकारी योजना जलग्रहण के तहत सरकारी सहायता से खेत खसरा संख्या 257 में पानी इक्कठा करने के उदेश्य से लगभग 8 फुट चौड़ाई में एनीकट बनाया हुआ है जो आज भी मौके पर कायम है। जिसके सम्बंध मे रंगीन फोटो ग्राफ जवाब के साथ पेश है। उक्त एनीकट जब बनवाया गया तो उस समय प्रार्थीगण के पिता रामनाथजी की सहमति व मौजूदगी में नाप

उप खण्ड अधिकारी

चौप करके बनवाया गया तथा उक्त एनीकट अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के खेत खसरा संख्या 257 की सीमा में बनाया गया। जब मौके पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के खेत खसरा संख्या 257 व प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 258 के बीच में वर्ष 1988 से एनीकट होने से मौके पर किसी भी प्रकार का उक्त दोनो खसरा के खेत की सीमाओं को लेकर दोनो पक्षकारों के मध्य किसी प्रकार का विवाद वर्ष 1988 से लेकर आज दिन तक नही है तथा मौके पर दोनो खेत की सीमाए कायम है तथा प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के खेत खसरा संख्या 257 की दक्षिणी व पश्चिमी माठ को जबरदस्ती तारबन्दी भी कर रखी है। इस प्रकार खेत खसरा संख्या 258 की अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के खेत खसरा संख्या 257 पर लगने वाली सीमा के सीमांकन को लेकर मौके पर किसी प्रकार का विवाद नही है। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र काबिले निरस्तनीय है। अप्रार्थी संख्या 2 का स्वर्गवास प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के पूर्व ही वर्ष 2016 में हो चुका है, फिर भी प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 मृतक के विरूद्ध प्रार्थना पत्र पेश किया है। जबकि कानूनन मृतक के विरूद्ध प्रार्थना पत्र पोषणीय नही है। इस आधार पर भी प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र काबिले निरस्तनीय है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 व 2 में वर्णित तथ्य सही होने से स्वीकार है। पद संख्या 3 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। पद संख्या 3 में वर्णित तथ्यों का जवाब इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के सयुक्त खातेदारी खेत खसरा संख्या 257 की दक्षिणी पूर्ण माठ व पश्चिमी माठ का कुछ हिस्सा प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 258 की उतरी माठ व पूर्वी माठ के लगता है तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के सयुक्त खातेदारी खेत खसरा संख्या 257 के दक्षिणी माठ व पश्चिमी माठ पर वर्ष 1988 में सरकारी योजना जलग्रहण के तहत सरकारी सहायता से खेत खसरा संख्या 257 में पानी इक्कठा करने के उदेश्य से लगभग 8 फुट चौड़ाई में एनीकट बनाया हुआ है जो आज भी मौके पर कायम है। जिसके सम्बंध मे रंगीन फोटो ग्राफ जवाब के साथ पेश है। उक्त एनीकट जब बनवाया गया तो उस समय प्रार्थीगण के पिता रामनाथजी की सहमति व मौजूदगी में नाप चौप करके बनवाया गया तथा उक्त एनीकट अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के खेत खसरा संख्या 257 की सीमा में बनाया गया। जब मौके पर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के खेत खसरा संख्या 257 व प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 258 के बीच में वर्ष 1988 से एनीकट होने से मौके पर किसी भी प्रकार का उक्त दोनो खसरा के खेत की सीमाओं को लेकर दोनो पक्षकारों के मध्य किसी

न्यायालय सहायक कलेक्टर • एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा •

उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

प्रकार का विवाद वर्ष 1988 से लेकर आज दिन तक नही है तथा मौके पर दोनो खेत की सीमाए कायम है तथा प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के खेत खसरा संख्या 257 की दक्षिणी व पश्चिमी माठ को जबरदस्ती तारबन्दी भी कर रखी है। इस प्रकार खेत खसरा संख्या 258 की अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के खेत खसरा संख्या 257 पर लगने वाली सीमा के सीमांकन को लेकर मौके पर किसी प्रकार का विवाद नही है तथा तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा खसरा संख्या 258 के सम्बंध में दिनांक 29.11.2022 को किये गये सीमांकन मय फर्द मौका रिपोर्ट के समय हल्का पटवारी ग्राम रावर, भू अभिलेख निरीक्षक बाला व तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 को न तो सूचित किया, न ही सीमांकन अप्रार्थी संख्या 1 की उपस्थिति में किया गया व न ही सीमांकन रिपोर्ट पर अप्रार्थी संख्या 1 के हस्ताक्षर है। इस प्रकार उक्त सीमांकन रिपोर्ट दिनांक 29.11.2022 अप्रार्थी संख्या 1 को सूचित किये बिना, बिना उसकी उपस्थिति में व बिना उसके हस्ताक्षर के कानून की दृष्टि में अप्रभावी है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के खेत खसरा संख्या 257 का दिनांक 29.11.2022 को तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा किसी प्रकार से सीमांकन नही किया गया। इसलिए उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधर पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र काबिले निरस्तनीय है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 4 में वर्णित तथ्य गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के खेत खसरा संख्या 257 की दक्षिणी व पश्चिमी माठ पर बने एनीकट पर तारबन्दी की न की खसरा संख्या 258 की उतरी व पूर्वी माठ पर तारबन्दी की। फिर भी अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा प्रार्थीगण को तारबन्दी से मना नही किया तथा आज भी प्रार्थीगण द्वारा की गयी तारबन्दी मौके पर मौजूद है, जिसके सम्बंध में फोटो ग्राफ जवाब प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। इसके अलावा उक्त पद में वर्णित शेष तथ्यों का जवाब जवाब प्रार्थना पत्र के उपरोक्त पैरा में दिया जा चुका है। पद संख्या 5 व 6 में वर्णित तथ्य कानूनी होने से माननीय न्यायालय के विचारणीय है। पद संख्या 7 में वर्णित तथ्य का जवाब इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 258 पर मौके पर सीमांकन के अनुसार तारबन्दी की हुई है, इसलिए प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कानूनन पोषणीय नही होने से काबिले निरस्तनीय है। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम को भारी हर्जे खर्चे के साथ खारिज किये जाने का आदेश फरमावे।

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

3. अप्रार्थी संख्या 3 सरकारी पैरोकार ने प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नं. 258 रकबा 3.3654 हैक्टेयर ग्राम रावर में आई हुई है। प्रार्थीगण के खसरा नं. 258 रकबा 3.3654 हैक्टेयर के उतरी दिशा की ओर अप्रार्थीगण की खातेदारी खेत खसरा नं. 257 रकबा 3.8670 हैक्टेयर आई हुई है। प्रार्थीगण द्वारा अपने खेत खसरा नं. 258 के चारो ओर तारबन्दी करनी चाही लेकिन अप्रार्थीगण ने ऐसा करने से रोक दिया। प्रार्थीगण द्वारा अपने खेत खसरा नं. 258 का सीमांकन दिनांक 16.11.2022 को करवाया है अप्रार्थीगण तारबन्दी नही करने दे रहे। दोनो पक्षों में आपसी विवाद बढे नही इस हेतु पत्थरगढी करवाया जाना आवश्यक रहेगा। अन्त में जवाब पेश कर निवेदन किया कि दोनो पक्षों के खेत की सीमाओं का विवाद बढे नही इस हेतु पत्थरगढी करवाया जाना आवश्यक है।

4. प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी, दौराने बहस प्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा भी दौराने बहस अपने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया।

5. उभय पक्षकारान के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा ग्राम रावर तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा संख्या 258 जो प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है व खसरा संख्या 257 जो अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की खातेदारी भूमि है, के सीमांकन एवं पत्थरगढी किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पेश किया है। अप्रार्थी संख्या 2 फौत होने से उनके कायममुकाम बाबत वकील प्रार्थी द्वारा दिनांक 10.7.2023 को कायममुकाम प्रार्थना पत्र मय लिमिटेशन एक्ट धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा संशोधित शीर्षक प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 श्रीमति हरकू को उपस्थिति हेतु प्रर्याप्त अवसर दिये गये लेकिन अप्रार्थी संख्या 2 स्वयं व उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नही होने से अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों यह अंकित किया गया कि अडौस पडौस के खातेदारों को पक्षकारान को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है एवं सीमांकन फर्द पर खातेदारों के हस्ताक्षर नहीं है। पत्रावली के अवलोकन एवं मनन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी स्व्यं की रेकर्डेड खातेदारी ग्राम रावर के

उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

खसरा नंबर 258 के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जबकि खसरा नंबर 257 अप्रार्थी की खातेदारी है। प्रार्थी स्वयं की खातेदारी भूमि की ही पत्थरगढी करवाने का अधिकारी है। प्रार्थी अपनी खातेदारी का सीमांकन करवा चुका है जिसकी ताईद तहसीलदार बिलाडा के जवाब से होती है। तहसीलदार बिलाडा के जवाब में यह भी अंकित किया गया है दोनों पक्षों में विवाद बढे नहीं, इस हेतु पत्थरगढी करवाया जाना आवश्यक रहेगा। उपरोक्त आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बिलाडा को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी की ग्राम रावर में स्थित खातेदारी खसरा नंबर 258 की पत्थरगढी पडौसी खातेदारान को सूचित करते हुये करने की कार्यवाही एक माह में कर पालना प्रस्तुत करने की कार्यवाही करे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(हँसमुख कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

आदेश आज दिनांक 20/2/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(हँसमुख कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा